Email: directoracad.cbse@nic.in
Webite: www.cbseacademic.in

Tel: 011-23212603
Tele Fax: 011-23234324

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, के अधीन एक स्वायत्त संगठन)
शिक्षासदन, 17, इन्सटिट्यूशनल क्षेत्र, राउज एवेन्यु, दिल्ली-110002.
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION
(An Autonomous Organization under the Union Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)
"ShikshaSadan", 17, Institutional Area, Rouse Avenue, New Delhi-110002.

के.मा.शि.बो./सं.नि(अ.हि.अ)/सं.स./2015 **परिपत्र संख्या. शैक्षणिक-51/2015**

दिनांक: 25 अगस्त, 2015

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध
सभी विद्यालय प्रमुखों के लिए

विषय: केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध सभी स्कूलों में संस्कृत सप्ताह 2015 मनाना!

प्रिय प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या

संस्कृत भारत की प्राचीन भाषाओं में से एक है। भारत में सभयता एवं संस्कृति के विकास को समझने के लिए संस्कृत से जुड़ना होगा। संस्कृत को बढ़ावा देने के प्रयास के रूप में के.मा.शि.बो. से सम्बद्ध विद्यालय विभिन्न बाल केन्द्रित गतिविधियां आयोजित करके संस्कृत समारोह मना सकते हैं। संस्कृत समारोह मनाने का उद्देश्य संस्कृत ज्ञान को साझा करने तथा एक दूसरे से सीखने के स्वैच्छिक तथा अन्य भाषाओं के बीच निकट सम्बन्धों तथा भारत की विरासत के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इससे विद्यार्थियों में भाषायी रचनात्मकता बढ़ेगी। विद्यालय संस्कृत सप्ताह के दौरान **गतिविधियां 26 अगस्त से 1 सितम्बर 2015 तक** आयोजित कर सकते हैं। प्रस्तावित संस्कृत सप्ताह के लिए कुछ गतिविधियां सुझाव के रूप में नीचे दी गई हैं:

1. **कविता रचना** – विद्यालय विद्यार्थियों को अलग-अलग विषयों पर संस्कृत की छोटी कविताएं लिखने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं।
2. **संस्कृत से सम्बन्धित विषय पर निबन्ध प्रतियोगिता-** विद्यालय संस्कृत से जुड़े विषयों पर निबन्ध प्रतियोगिता आयोजित कर सकते हैं। निबन्ध मौलिक होना चाहिए तथा इसका विषय भाषाओं के प्रसार, भारतीय कलाओं और संस्कृति को परस्पर जोड़ने अथवा अन्य जुड़े विषयों के लिए महत्त्वपूर्ण होना चाहिए।
3. **संस्कृत श्लोक अन्ताक्षरी** – विद्यालय विभिन्न रोचक तरीकों जैसे श्लोक अन्ताक्षरी को अपना कर श्लोक पाठ प्रतियोगिताएं आयोजित कर सकते हैं। विद्यालय इस प्रतियोगिता को आयु उपयुक्त तरीकों से आयोजित कर सकते हैं तथा विद्यालय में होने वाली अन्तिम चरण की प्रतियोगिता में संस्कृत के प्रतिष्ठित विद्वानों को निर्णायकों के रूप में आमन्त्रित कर सकते हैं।
4. **भारतीय भाषाओं पर युवा संसद आयोजित करना**–इस क्रियाकलाप का उद्देश्य विद्यार्थियों की भाषण कला को सशक्त बनाना है, ताकि वे भारतीय भाषाओं की शिक्षा के सम्बन्ध में विभिन्न प्रश्नों को पूछ कर स्पष्टीकरण मांगना सीखेंगे तथा सम्भावित समाधान सुझाएंगे।
5. **संस्कृत को आधुनिक भारतीय भाषाओं (भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में दर्ज भारतीय भाषाओं सहित) और अन्तर्राष्ट्रीय भाषाओं के साथ जोड़ना** – वरिष्ठ माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को उपरोक्त भाषाओं के साथ संस्कृत के सम्बन्धों पर कार्य शोध करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।
6. **संस्कृत की कोई फिल्म दिखाना** – विद्यालय संस्कृत भाषा की कोई फिल्म जैसे पुण्यकोटि गुण्डा, मुद्राराक्षस इत्यादि दिखा सकते हैं जिसके नीचे हिन्दी/अंग्रेजी के सब टाइट्ल्स दिए गए हों।
7. **प्रख्यात महानुभावों/संस्कृत साहित्य के विद्वानों के साथ संवाद**–विद्यालय प्रतिष्ठित संस्कृत विद्वानों को आमन्त्रित कर सकते हैं और बच्चे उनके साथ इन बात पर ध्यान केन्द्रित कर सकते हैं कि दैनिक जीवन में संस्कृत के प्रयोग को किस प्रकार बढ़ाया जाए।

उपरोक्त के अतिरिक्त केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपने से सम्बद्ध विद्यालयों के लिए कुछ राष्ट्रीय स्तर की निबन्ध प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है। इस प्रतियोगिता का विवरण निम्नलिखित है:

वर्ग A (कक्षा VI से VIII)

विषय:

1. भारत की सांस्कृतिक घरोहर के विकास में संस्कृत की भूमिका
2. जीवन के पांच अनिवार्य मूल्य
3. भारत की अखण्डता के लिए शिक्षा

वर्ग B (कक्षा IX से XII)

विषय:

1. भारत के लोक साहित्य और भाषाओं पर संस्कृत का प्रभाव
2. विद्यार्थियों में मूल्यों के प्रचार प्रसार में शिक्षा की भूमिका
3. शान्ति के लिए अन्त: धार्मिक संवाद का महत्व

निर्देश:

1. के.मा.शि.बो. से सम्बद्ध सभी स्कूल इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं।
2. प्रतियोगियों को अपने निबन्ध संस्कृत में लिखने होंगे।
3. एक विद्यार्थी केवल एक प्रविष्टि ही दे सकता है।
4. निबन्ध मौलिक होने चाहिए, पूर्व प्रकाशित नहीं होने चाहिएं तथा केवल एक विद्यार्थी द्वारा लिखित होना चाहिए।
5. प्रत्येक विद्यालय प्रत्येक वर्ग में तीन से अधिक प्रविष्टियां जमा नहीं कर सकता।
6. प्रत्येक निबन्ध टाईप किया हुआ अथवा A-4 साईज के कागज़ पर सुलिखित होना चाहिए।
7. निबन्ध प्रत्येक वर्ग के लिए निर्धारित शब्द सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए।
8. प्रत्येक निबन्ध का आकलन निम्नलिखित मानदण्डों के आधार पर किया जाएगा व्याकरण, अद्वितीयता, विषय की समझ और निबन्ध में उसका कार्यान्वयन, लिखने की शैली और प्रवाह, विषय का निर्वाह तथा उससे जुड़ी समस्याओं के समाधान
9. निबन्ध जमा करवाने के बाद यह समझा जाएगा कि प्रतिभागी केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा शिक्षा एवं प्रोत्साहन के कार्यों के लिए उन निबन्धों का प्रयोग किए जाने हेतु सहमत है।
10. प्रत्येक प्रविष्टि पर निम्नलिखित जानकारी दी जानी अनिवार्य है।

i.	विद्यार्थी का नाम	v.	सम्पर्क ब्यौरा
ii.	कक्षा	vi.	मोबाइल नं:
iii.	विद्यालय का नाम	vii.	ई-मेल आई डी:
iv.	पूरा पता		

के.मा.शि.बो से सम्बद्ध विद्यालय अपने श्रेष्ठतम तीन प्रविष्टियों को अपने क्षेत्रीय कार्यालय में **10 सितम्बर 2015** तक जमा करवा सकते हैं। क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा सभी प्रविष्टियों की पड़ताल और आकलन संस्कृत विशेषज्ञों से करवा कर प्रत्येक वर्ग में क्षेत्रीय स्तर की पांच श्रेष्ठतम प्रविष्टियों को शैक्षिक यूनिट नई दिल्ली को भेजेंगे। चुनी गई तीन श्रेष्ठतम प्रविष्टियों को प्रशंसा पत्र के साथ क्रमश**: 2500/- रुपये, 2000/- रुपये और 1500- रुपये** का नकद पुरस्कार दिया जाएगा।

विद्यालय अपने विद्यालय में किए गए विद्यालय स्तर के आयोजन की एक रिपोर्ट **30 सितम्बर 2015** तक सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय में भेजेंगे। इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिए विद्यालय श्री ए.एच. अहमद, संयुक्त निदेशक, शिक्षा सदन, 17 इन्स्टीट्यूशनल एरिया, राऊज़ एवेन्यु, नई दिल्ली-110002 से दूरभाष नं: 011-23327780 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

बोर्ड आशा करता है कि संस्कृत सप्ताह मनाने से युवाओं में साधारण संस्कृत के प्रयोग को नई ऊर्जा मिलेगी।

शुभकामनाएं

भवदीय,

हस्ताक्षरित/-

डी.टी. सुदर्शन राव
संयुक्त सचिव एवं प्रभारी (शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण)

अधोलिखित, समस्त निदेशालयों, संगठनों, संस्थानों के प्रमुखों और अधिकारियों को प्रतिलिपि इस अनुरोध के साथ जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी विद्यालयों को सूचना प्रदान करने का कष्ट करें।

1 आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 18-इंस्टीट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016
2 आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, बी -15, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा 201307
3 शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, नई दिल्ली-110054
4 निदेशक, सार्वजनिक निर्देश (विद्यालय), केन्द्र शासित प्रदेश सचिवालय, सेक्टर-9 चंडीगढ़-160017
5 शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम-737101
6 निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, अरुणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर-791111
7 शिक्षा निदेशक, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सरकार, पोर्ट ब्लेयर-744101
8 राज्य शिक्षा संस्थान, के.मा.शि.बो. कक्ष, वी.आई.पी. मार्ग जंगली घाट. पी.ओ.-744103 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह।
9 केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, एस.एस. प्लाज़ा, सामुदायिक केन्द्र, सेक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली-110085
10 अपर महानिदेशक, ए-विंग, सेना भवन, डीएचक्यू, पीओ, नई दिल्ली-110001
11 निदेशक, एडब्ल्यूईएस, रक्षा मंत्रालय (सेना), एकीकृत मुख्यालय, FDRC बिल्डिंग नं 202, शंकर विहार (निकट ए पी एस), दिल्ली कैंट-110010.
12 सभी क्षेत्रीय निदेशक/क्षेत्रीय अधिकारी के.मा.शि.बो. को अपने संबंधित क्षेत्रों में बोर्ड से संबद्धता प्राप्त विद्यालयों के प्रमुखों को परिपत्र की प्रति प्रेषित करने हेतु।
13 एसोसिएट प्रोफेसर/अपर निदेशक/प्रभारी/अनुसंधान एवं नवाचार, शैक्षणिक, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं नवाचार स्कंध के.मा.शि.बो.
14 संयुक्त सचिव/प्रभारी/शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण (शैक्षणिक, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं नवाचार स्कंध, के.मा.शि.बो.)
15 सभी एसोसिएट प्रोफेसर और अपर निदेशक/सलाहकार/परामर्शदाता
16 सभी अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक-निदेशक, वोकेशलन सेल, के.मा.शि.बो.
17 सभी सहायक प्रोफेसर एवं संयुक्त निदेशक, के.मा.शि.बो.
18 सभी सहायक प्रोफेसर एवं उप निदेशक, के.मा.शि.बो.
19 उप निदेशक (परीक्षा एवं सुधार), के.मा.शि.बो.
20 सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, के.मा.शि.बो.
21 जन संपर्क अधिकारी, के.मा.शि.बो.
22 हिंदी अधिकारी, के.मा.शि.बो.
23 अध्यक्ष, के.मा.शि.बो., के निजी सचिव
24 सचिव, के.मा.शि.बो. के निजी सचिव
25 परीक्षा नियंत्रक, के.मा.शि.बो. के के निजी सचिव
26 निदेशक (विशेष परीक्षा तथा सी.टी.ई.टी.), के.मा.शि.बो., के निजी सचिव
27 निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) के निजी सहायक

संयुक्त सचिव और प्रभारी (शैक्षणिक और प्रशिक्षण)